PMGSY

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड़, लोक निर्माण विभाग, चम्पावत।

OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER, IRRIGATION.DIVISION (P.W.D.), CHAMPAWAT

Phone – fax 05965-230148 E-Mail: eepmgsychampawat@gmail.com

पत्रांक ...718.../03 पी0एम0जी0एस0वाई0 दिनाँक ...29.../07/2020

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण, इन्दिरा नगर फारेस्ट कालोनी,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषय :– *जनपद चम्पावत में टकनागूंठ से डांडामल्ला मोटर मार्ग निर्माण (प्रस्ताव सं0 FP/UK/ROAD/41672/2019) की आपत्ति के सम्बन्ध में।*

महोदय,

उक्त मोटर मार्ग से सम्बन्धित वन भूमि हस्तान्तरण के ऑनलाइन प्रस्ताव में आपके द्वारा लगायी गयी आपत्ति का निराकरण कर प्रेषित की जा रही है।

क्र0सं0	आपत्तियां	निराकरण
1	CA area is proposed in degraded forest land. As per DSS analysis 5 ha area found in VDF and 12 ha area found in MDF. State Govt. may change the area with some other area suitable for CA.	CA area inspected by conserning DFO and found for suitable for CA. (Certificate given by DFO attached) (Attachment no. 1)
2	Out of 9.14 ha area 2 ha area proposed for muck disposal (1 ha in reserve forest land). State Govt. may identify some non-forest land for muck disposal.	The Starting of road upto 2.00 Km. comes under forest land by which no option to provide another place for muck dumping and where the land comes under revenue land is highly agricultural area and residental area for that dumping zone provided in forest land. (Attachment no. 2)
3	CA scheme prepared for Rs. 1,36,45,786 for 18.28 ha area @ Rs. 7,46,487/- per ha. State Govt. may examine the rate prescribed and submit revised CA scheme.	Necessary correction made done at CA scheme. (attached with this letter) (Attachment no. 3)
4	Shape of proposed road found different in KML file and Digital map. Also digital map and SOI toposheet are not C/s by DFO. State Govt. may review the same and submit/upload the correct documents duly C/s by DFO.	Necessary correction made done. All maps prepare at FTI Haldwani as per norms. (Attachment no. 4)
5	In Justification it is mentioned that 1 more road is proposed form PWD in the alignment. State Govt. may submit details of the same and also mark that alignment in KML.	Previously this road proposed form Sukhi-Dhang to Danda Minar Km. 30 to Dandamalla length of 21.00 Km, but PWD complete only 5.00 Km. length hence in PMGSY proposed balance length 16.00 Km. to connect Kaknai and Dandamalla villages. PWD road has also been shown in KML uploaded. (Attachment no. 5 &8)

6	Details of 775 trees found uploaded at para-4 in Part II however details of 827 trees submitted in hard copy, it is mentioned in the proposal that all trees will be cut and in another document of the proposal mentioned that only 408 trees will be cut and 434 will be transplanted. State Govt. may clarify the discrepancy and submit/upload the correct information.	In forest land 827 trees in Nap land 15 trees total trees 842 trees comes under this proposal in which 408 trees will be cut and 434 trees of size (0-10 or 10-20) will shifted. (Details of trees attached). (Attachment no. 6)
7	Aerial distance of the proposed area from the wild life sanctuary/national park is submitted as 2.8 Km. State Govt. may submit the comments of Chief wildlife warden in this regard.	Request for the comment of wildlife warden in this regard send to Chief wildlife warden awated.
8	Geologist report submitted/uploaded for some other proposal. State Government may do the necessary correction and upload/submit the correct copy of geologist report in original.	The road proposed in the name of Tand Kaknai -Danda Kathuth, length 21.00 Km. which is constructed in 5.00 Km. length by PWD after that it is proposed in PMGSY in the name of Taknagunth to Dandamalla motor road, length 16.00 Km. but the geologist report for complete 21.00 Km. length in the name of Tand Kaknai -Danda Kathuth motor road. (Attachment no. 5&8)
9	State Government may submit/upload the SIR again, as no comments have been made by DFO against each column in his SIR.	Quary related with DFO Haldwani. compliance done at Part II.
10	In NPV calculation sheet the area is taken as 3.94 ha instead of 9.14 ha. Further density is mentioned as 0.4 but the NPV rate is charged for VDF category of eco-class-V i.e. @ 9.39 lakh/ha. State Govt. may clarify the discrepancy and submit/upload the correct information.	Compliance done correction have been made and upload. (Attachment no. 10)
11	The width of the proposed road has been halved twice for calculation of muck likely to be generated which has resulted into underestimation of muck likely to be generated. State Govt. may clarify the discrepancy and submit/upload the correct information.	The cross-section of road is taken triangle in hilly area for hill side cutting and the quantity for cutting has been calculated by taken the average of area of two x-sections. Hence the calculations are O.K. (Attachment no. 11)
12	As per dimensions of the muck disposal sites the total area of muck disposal yards comes to 2.24 ha instead of 2.00 ha mentioned in the proposal. State Govt. may do the needful in this regards.	Correction have been made only 2.00 ha area required for muck dumping. (Attachment no. 12)
13	It is mentioned against para-6 of Part II that the hill slope is steep and the area is prone to erosion but the protection measures required to stabilize the slope have not been suggested. State Govt. may submit the detailed justification and do the needful in this regard.	The protection of side slope done by user agency by providing wire creates, RR dry wall, RR mesonary work, Plum concerte and by seeding and mulching provisions made by user agency in proposal of road,

14	It is seen form details given at para-14 of Part II that the CA stipulated is not commensurate to the area of forest land diverted. Further the progress of CA is 50% which is very poor, State Govt. may review the same and submit correct information.	Quary related with DFO Haldwani. compliance done at Part II.
15	DFO in his site inspection report mentioned three conditions and requested for Rs. 45 lakh for some work in the area. State Govt. may submit the comments in this regard.	Quary related with DFO Haldwani. compliance done at Part II.
16	In the SIR of DFO has mentioned that the construction of road in the mid of forest will lead to fragmentation of forest and will affect wildlife but the distance of proposed site for diversion form boundary of forest mentioned as 0.10 Km. which appear contradictory. DFO should submit a detailed wildlife management plan based on scientific basis duly approved by the competent authority only.	Quary related with DFO Haldwani. compliance done at Part II.
17	'No' mentioned against para-8 (iii) of Part II but the aerial distance of proposed site for diversion in mentioned as 2.80 Km form the boundary of national park, wildlife sanctuary which is contradictory. State Govt. may review the same and submit correct information.	Quary related with DFO Haldwani. compliance done at Part II.
18	State Government may submit the hard copy of the above mentioned points.	Attached with this letter.

भवदीय,

अधिशासी अभियन्ता,
सिंचाई खण्ड,(लो0नि0वि0)चम्पावत।

पत्रांक ..../03 पी0एम0जी0एस0वाई0 *दिनाँक ..../07/2020*

प्रतिलिपि :– प्रभागीय वनाधिकारी, हल्द्वानी वन प्रभाग, हल्द्वानी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

अधिशासी अभियन्ता,
सिंचाई खण्ड,(लो0नि0वि0)चम्पावत।

प्रारूप

1. परियोजना का ऑनलाईन प्रस्ताव सं0 :– FP/UK/ROAD/41672/2019

2. परियोजना का नाम एवं जनपद :– टकनागूंठ से डांडामल्ला मोटर मार्ग 16.000 कि0मी0 मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 9.140 हे0 वन भूमि का गैरवानिकी कार्यों हेतु ग्राम्य विकास विभाग को वन भूमि हस्तानान्तरण प्रस्ताव, जनपद – चम्पावत।

3. परियोजना का क्षेत्रफल (हे0 में) :– 9.140 हे0।

4. प्रयोक्ता एजेन्सी का नाम व पता :– पी0एम0जी0एस0वाई0, सिंचाई खण्ड (लो0नि0वि0) चम्पावत।

5. वन प्रभाग का नाम व पता :– चम्पावत वन प्रभाग, चम्पावत।

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त वन भूमि हस्तानान्तरण प्रस्ताव में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित अवनत वनभूमि डुंगराबांकू, कक्ष सं0–21, लोहाघाट रेंज, वन प्रभाग चम्पावत, क्षेत्रफल 18.280 हे0 का श्री कुबेर सिंह बिष्ट, प्रभागीय वनाधिकारी, चम्पावत वन प्रभाग चम्पावत (प्रभागीय वनाधिकारी का नाम व वन प्रभाग) द्वारा पुनः दिनांक 13-02-2020 को स्थलीय निरीक्षण किया गया। स्थलीय निरीक्षण के दौरान पाया गया कि क्षतिपूरक वृक्षारोपण का घनत्व 0.4 से कम है, क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित क्षेत्र वनाच्छादित नहीं है, क्षेत्र झाड़ीनुमा व रिक्त है एवं क्षेत्र में 1100 पौधे प्रति हे0 रोपित हो सकते हैं। अतः उक्त क्षेत्र क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु सर्वथा उपयुक्त है।

हस्ताक्षर

( )

प्रभागीय वनाधिकारी का नाम

पद व मोहर सहित

प्रारूप 17

स्चार्ट :- जनपद-चम्पावत में प्रधानमन्त्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत टकना... से डांडा मल्ला मोटर मार्ग का निर्माण लं०।
मोटर मार्ग की लम्बाई 16.000 कि०मी० मोटर मार्ग की चौड़ाई वनभूमि में 7 मी० नाप भूमि में 9 मीटर

पैमाना 5 सें०मी० = 1 कि०मी०

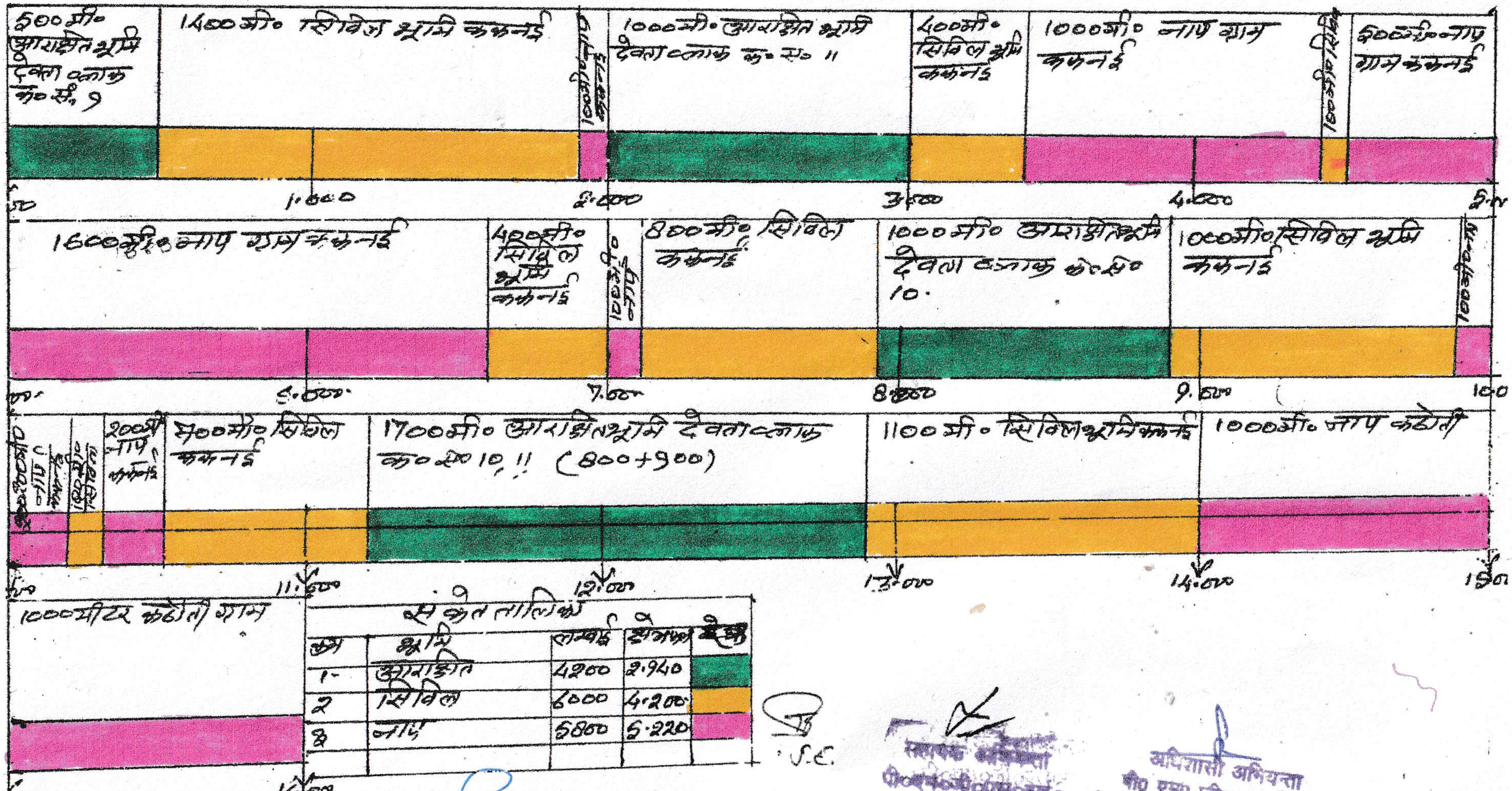

संकेत तालिका

क्रम	भूमि	लम्बाई	क्षेत्रफल	रंग
1	आरक्षित	4200	2.940	
2	सिविल	6000	4.200	
3	नाप	5800	5.220	

S.E.

सहायक अभियन्ता पी०एम०जी०एस०वाई० सिंचाई खण्ड, लोहाघाट

अधिशासी अभियन्ता पी० एम० जी० एस० वाई० सिंचाई खण्ड, लोहाघाट (चम्पावत)

राजस्व क्षेत्र ...
तहसील ...
जिला ...

उपजिलाधिकारी पूर्णागिरि (टनकपुर)

जिलाधिकारी चम्पावत

वन क्षेत्राधिकारी डांडा वन क्षेत्र हल्द्वानी वन प्रभाग, हल्द्वानी

तहसीलदार पूर्णागिरी (टनकपुर) जनपद-चम्पावत

उप प्रभागीय वनाधिकारी उप प्रभाग हल्द्वानी

शारदा

प्रभागीय व...
हल्द्वानी वन प्र...

प्रारूप –

क्षतिपूरक वृक्षारोपण योजना

परियोजना का नाम :– जनपद चम्पावत में पी0एम0जी0एस0वाई0 के अन्तर्गत टकनागूंठ से डांडामल्ला मोटर मार्ग, लम्बाई 16.00 कि0मी0

वनभूमि का क्षेत्रफल 18.28 हे0, वृक्षारोपण स्थल चम्पावत, वन प्रभाग के लोहाघाट रेंज में डुंगराबांकू कक्ष सं0 21 (अवनत वनभूमि)

क्षतिपूरक वनीकरण हेतु निधारिंत क्षेत्र में अधिक घनत्व होने से आरक्षित वन क्षेत्र डुंगराबांकू कक्ष सं0 21 में रोपित किए जाने वाले पौधों की सं0–24331 पौधे (1331 प्रति हे0)

क्र0सं0	कार्य का नाम	मात्रा	इकाई	इकाई दर (रू0)	योग
1	2	3	4	5	6
1	सर्वे एवं सीमांकन	18.28	हे0	128.04	2340.57
2	क्षेत्र की सफाई (झाड़ी कटान आदि)	18.28	हे0	770.88	14091.69
3	अग्रिम दीवाल बन्दी (फन्सिंग) 84 घनमीटर प्रति हे0 की दर से = 84 X 18.28 हे0 = 756.00 घन मी0	1535.52	घन मी0	447.48	687114.49
4	मृदा एवं जल संरक्षण एवं संग्रहण हेतु कच्चे चाल–खालों का निर्माण एवं अन्य अभियांत्रिक कार्यों हेतु प्रावधान (पूर्ण)	18.28	हे0	10000.00	182800.00
5	गड्ढे खुदान (0.30 X 0.30 X 0.45) 1000 प्रति हे0 गड्ढे	24331.00	गड्ढे	9.68	235524.08
6	निरीक्षण बटिया बनना	18.28	हे0	640.20	11702.86
7	पौधौं की कीमत (प्रथम वर्ष)	24331.00	पौधे	8.44	205353.64
8	अन्य व्यय जैसे यंत्र संयन्त्र, औजार तेज करना एवं कार्यों पर व्यय		L/S	L/S	40000.00
9	अन्य कार्य		L/S	L/S	50000.00
	योग – प्रथम चरण				**1428927.33**
	द्वितीय चरण				
1	गड्ढा भरान कार्य (0.30 X 0.30 X 0.45)	24331.00	गड्ढे	1.52	36983.12
2	पौधौं की कीमत (द्वितीय वर्ष)	24331.00	पौधे	1.52	36983.12
3	पौध ढुलान कार्य	24331.00	पौधे	8.44	205353.64
4	पौध रोपण व थालाबन्दी	24331.00	पौधे	2.72	66180.32
5	निराई, गुड़ाई व मल्चिंग (दो बार)	24331.00	पौधे	2.00	48662.00
6	खाद व दवा पर व्यय प्रति सैकड़ा पौधा		L/S	L/S	40000.00
7	प्रथम वर्ष में वृक्षारोपण की देख–रेख व रखरखाव पर व्यय	18.28	हे0	6293.76	115049.93
8	**वृक्षारोपण क्षेत्रों के अन्तर्गत**				
	8.1 सूखे घास–फूस एवं ज्वलनशील पदार्थों का हटाना प्रति हे0	18.28	हे0	462.00	8445.36
	8.2 सुरक्षा दीवार/घेरबाड़ के बाहर 4 मीटर की पट्टी साफ करना	18.28	हे0	297.00	5429.16
	8.3 वृक्षारोपण से लाभान्वित होने वाले ग्रामीणों को अग्नि सुरक्षा जागरूकता हेतु प्रशिक्षण तथा अग्नि सुरक्षा में उल्लेखनीय कार्य हेतु व्यक्तियों/समितियों को प्रोत्साहित देना।				

क्र0सं0	कार्य का नाम	मात्रा	इकाई	इकाई दर (रू0)	योग
	अ – प्रशिक्षण	18.28	हे0	528.00	9651.84
	ब – प्रोत्साहन	18.28	हे0	264.00	4825.92
9	अन्य व्यय साइन बोर्ड, पौध ढुलान हेतु टोकरी, सुतली, बोरी आदि क्रय वृक्षारोपण के समय वर्षा से बचने हेतु पॉलीथीन सीट क्रय वर्ष में दो–तीन बार फोटोग्राफी फील्ड स्तरीय कार्यों को प्रचार–प्रसार एवं डेक्यूमेंटेशन आदि काय।	18.28	हे0	924.00	16890.72
	अन्य कार्य		L/S	L/S	50000.00
	योग – द्वितीय चरण				**644455.13**
	कुल योग प्रथम एवं द्वितीय चरण				**2073382.46**
	तृतीय चरण				
1	रोपण वर्ष के उपरान्त प्रथम वर्ष रखरखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह	18.28	हे0	9440.64	172574.90
2	2.1 वृक्षारोपण क्षेत्रों के अन्तर्गत सूखे घास–फूस एवं ज्वलनशील पदार्थों को हटाना प्रति हे0	18.28	हे0	462.00	8445.36
	2.2 सुरक्षा दीवार के बाहर 4 मी0 पट्टी साफ करना, 2.3 वृक्षारोपण से लाभान्वित होने वाले ग्रामीणों को अग्नि सुरक्षा जागरूकता हेतु प्रशिक्षण तथा अग्नि सुरक्षा में उल्लेखनीय कार्य हेतु व्यक्तियों/समितियों को प्रोत्साहन देना	18.28	हे0	297.00	5429.16
	अ – प्रशिक्षण	18.28	हे0	528.00	9651.84
	ब – प्रोत्साहन	18.28	हे0	264.00	4825.92
3	अन्य कार्य		L/S	L/S	50000.00
	योग – तृतीय चरण				**250927.18**
	चतुर्थ चरण				
1	रोपण वर्ष के उपरान्त द्वितीय वर्ष रखरखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह	18.28	हे0	9440.64	172574.90
2	2.1 वृक्षारोपण क्षेत्रों के अन्तर्गत सूखे घास–फूस एवं ज्वलनशील पदार्थों को हटाना प्रति हे0	18.28	हे0	462.00	8445.36
	2.2 सुरक्षा दीवार के बाहर 4 मी0 पट्टी साफ करना, 2.3 वृक्षारोपण से लाभान्वित होने वाले ग्रामीणों को अग्नि सुरक्षा जागरूकता हेतु प्रशिक्षण तथा अग्नि सुरक्षा में उल्लेखनीय कार्य हेतु व्यक्तियों/समितियों को प्रोत्साहन देना	18.28	हे0	297.00	5429.16
	अ – प्रशिक्षण	18.28	हे0	528.00	9651.84
	ब – प्रोत्साहन	18.28	हे0	264.00	4825.92
3	अन्य कार्य		L/S	L/S	50000.00
	योग – चतुर्थ चरण				**250927.18**
	पंचम चरण				
1	रोपण वर्ष के उपरान्त तृतीय वर्ष रखरखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह	18.28	हे0	9440.64	172574.90
2	2.1 वृक्षारोपण क्षेत्रों के अन्तर्गत सूखे घास–फूस एवं ज्वलनशील पदार्थों को हटाना प्रति हे0	18.28	हे0	462.00	8445.36

क्र0सं0	कार्य का नाम	मात्रा	इकाई	इकाई दर (रू0)	योग
	2.2 सुरक्षा दीवार के बाहर 4 मी0 पट्टी साफ करना, 2.3 वृक्षारोपण से लाभान्वित होने वाले ग्रामीणों को अग्नि सुरक्षा जागरूकता हेतु प्रशिक्षण तथा अग्नि सुरक्षा में उल्लेखनीय कार्य हेतु व्यक्तियों/समितियों को प्रोत्साहन देना	18.28	हे0	297.00	5429.16
	अ – प्रशिक्षण	18.28	हे0	528.00	9651.84
	ब – प्रोत्साहन	18.28	हे0	264.00	4825.92
3	अन्य कार्य		L/S	L/S	50000.00
	योग – पंचम चरण				**250927.18**
	षष्टम चरण				
1	रोपण वर्ष के उपरान्त चतुर्थ वर्ष रखरखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह	18.28	हे0	9440.64	172574.90
2	2.1 वृक्षारोपण क्षेत्रों के अन्तर्गत सूखे घास–फूस एवं ज्वलनशील पदार्थों को हटाना प्रति हे0	18.28	हे0	462.00	8445.36
	2.2 सुरक्षा दीवार के बाहर 4 मी0 पट्टी साफ करना, 2.3 वृक्षारोपण से लाभान्वित होने वाले ग्रामीणों को अग्नि सुरक्षा जागरूकता हेतु प्रशिक्षण तथा अग्नि सुरक्षा में उल्लेखनीय कार्य हेतु व्यक्तियों/समितियों को प्रोत्साहन देना	18.28	हे0	297.00	5429.16
	अ – प्रशिक्षण	18.28	हे0	528.00	9651.84
	ब – प्रोत्साहन	18.28	हे0	264.00	4825.92
3	अन्य कार्य		L/S	L/S	50000.00
	योग – षष्टम चरण				**250927.18**
	सप्तम चरण				
1	रोपण वर्ष के उपरान्त पंचम वर्ष रखरखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह	18.28	हे0	9440.64	172574.90
2	2.1 वृक्षारोपण क्षेत्रों के अन्तर्गत सूखे घास–फूस एवं ज्वलनशील पदार्थों को हटाना प्रति हे0	18.28	हे0	462.00	8445.36
	2.2 सुरक्षा दीवार के बाहर 4 मी0 पट्टी साफ करना, 2.3 वृक्षारोपण से लाभान्वित होने वाले ग्रामीणों को अग्नि सुरक्षा जागरूकता हेतु प्रशिक्षण तथा अग्नि सुरक्षा में उल्लेखनीय कार्य हेतु व्यक्तियों/समितियों को प्रोत्साहन देना	18.28	हे0	297.00	5429.16
	अ – प्रशिक्षण	18.28	हे0	528.00	9651.84
	ब – प्रोत्साहन	18.28	हे0	264.00	4825.92
3	अन्य कार्य		L/S	L/S	50000.00
	योग – सप्तम चरण				**250927.18**
	अष्टम चरण				
1	रोपण वर्ष के उपरान्त षष्ठम वर्ष रखरखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह	18.28	हे0	9440.64	172574.90
2	2.1 वृक्षारोपण क्षेत्रों के अन्तर्गत सूखे घास–फूस एवं ज्वलनशील पदार्थों को हटाना प्रति हे0	18.28	हे0	462.00	8445.36

क्र0सं0	कार्य का नाम	मात्रा	इकाई	इकाई दर (रू0)	योग
	2.2 सुरक्षा दीवार के बाहर 4 मी0 पट्टी साफ करना, 2.3 वृक्षारोपण से लाभान्वित होने वाले ग्रामीणों को अग्नि सुरक्षा जागरूकता हेतु प्रशिक्षण तथा अग्नि सुरक्षा में उल्लेखनीय कार्य हेतु व्यक्तियों/समितियों को प्रोत्साहन देना	18.28	हे0	297.00	5429.16
	अ – प्रशिक्षण	18.28	हे0	528.00	9651.84
	ब – प्रोत्साहन	18.28	हे0	264.00	4825.92
3	अन्य कार्य		L/S	L/S	50000.00
	योग – अष्टम चरण				**250927.18**
	नवम चरण				
1	रोपण वर्ष के उपरान्त सप्तम वर्ष रखरखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह	18.28	हे0	9440.64	172574.90
2	2.1 वृक्षारोपण क्षेत्रों के अन्तर्गत सूखे घास–फूस एवं ज्वलनशील पदार्थों को हटाना प्रति हे0	18.28	हे0	462.00	8445.36
	2.2 सुरक्षा दीवार के बाहर 4 मी0 पट्टी साफ करना, 2.3 वृक्षारोपण से लाभान्वित होने वाले ग्रामीणों को अग्नि सुरक्षा जागरूकता हेतु प्रशिक्षण तथा अग्नि सुरक्षा में उल्लेखनीय कार्य हेतु व्यक्तियों/समितियों को प्रोत्साहन देना	18.28	हे0	297.00	5429.16
	अ – प्रशिक्षण	18.28	हे0	528.00	9651.84
	ब – प्रोत्साहन	18.28	हे0	264.00	4825.92
3	अन्य कार्य		L/S	L/S	50000.00
	योग – नवम चरण				**250927.18**
	दशम चरण				
1	रोपण वर्ष के उपरान्त अष्टम वर्ष रखरखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह	18.28	हे0	9440.64	172574.90
2	2.1 वृक्षारोपण क्षेत्रों के अन्तर्गत सूखे घास–फूस एवं ज्वलनशील पदार्थों को हटाना प्रति हे0	18.28	हे0	462.00	8445.36
	2.2 सुरक्षा दीवार के बाहर 4 मी0 पट्टी साफ करना, 2.3 वृक्षारोपण से लाभान्वित होने वाले ग्रामीणों को अग्नि सुरक्षा जागरूकता हेतु प्रशिक्षण तथा अग्नि सुरक्षा में उल्लेखनीय कार्य हेतु व्यक्तियों/समितियों को प्रोत्साहन देना	18.28	हे0	297.00	5429.16
	अ – प्रशिक्षण	18.28	हे0	528.00	9651.84
	ब – प्रोत्साहन	18.28	हे0	264.00	4825.92
3	अन्य कार्य		L/S	L/S	50000.00
	योग – दशम चरण				**250927.18**
	एकादश चरण				
1	रोपण वर्ष के उपरान्त नवम् वर्ष रखरखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह	18.28	हे0	9440.64	172574.90
2	2.1 वृक्षारोपण क्षेत्रों के अन्तर्गत सूखे घास–फूस एवं ज्वलनशील पदार्थों को हटाना प्रति हे0	18.28	हे0	462.00	8445.36

क्र0सं0	कार्य का नाम	मात्रा	इकाई	इकाई दर (रू0)	योग
	2.2 – सुरक्षा दीवार के बाहर 4 मी0 पट्टी साफ करना 2.3 – वृक्षारोपण से लाभान्वित होने वाले ग्रामीणों को अग्नि सुरक्षा जागरूकता हेतु प्रशिक्षण तथा अग्नि सुरक्षा में उल्लेखनीय कार्य हेतु व्यक्तियों/समितियों को प्रोत्साहन देना	18.28	हे0	297.00	5429.16
	अ – प्रशिक्षण	18.28	हे0	528.00	9651.84
	ब – प्रोत्साहन	18.28	हे0	264.00	4825.92
3	अन्य कार्य		L/S	L/S	50000.00
	योग – एकादश चरण				**250927.18**
	द्वादश चरण				
1	रोपण वर्ष के उपरान्त दशम् वर्ष रखरखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह	18.28	हे0	9440.64	172574.90
2	2.1 वृक्षारोपण क्षेत्रों के अन्तर्गत सूखे घास–फूस एवं ज्वलनशील पदार्थों को हटाना प्रति हे0	18.28	हे0	462.00	8445.36
	2.2 सुरक्षा दीवार के बाहर 4 मी0 पट्टी साफ करना, 2.3 वृक्षारोपण से लाभान्वित होने वाले ग्रामीणों को अग्नि सुरक्षा जागरूकता हेतु प्रशिक्षण तथा अग्नि सुरक्षा में उल्लेखनीय कार्य हेतु व्यक्तियों/समितियों को प्रोत्साहन देना	18.28	हे0	297.00	5429.16
	अ – प्रशिक्षण	18.28	हे0	528.00	9651.84
	ब – प्रोत्साहन	18.28	हे0	264.00	4825.92
3	अन्य कार्य		L/S	L/S	50000.00
	योग – द्वादश चरण				**250927.18**
	कुल योग –				**4582654.26**

सहायक अभियन्ता
पी0एम0जी0एस0वाई खण्ड
चम्पावत

Executive Engineer
I D; PWD, (PIU) PMGSY
Champawat

प्रभागीय वन अधिकारी
चम्पावत वन प्रभाग चम्पावत

(12)

डिजिटल मैप–जनपद चम्पावत में पी0एम0जी0एस0वाई0 के अन्तर्गत टकनागूँठ से डांडामल्ला मोटर मार्ग का निर्माण।

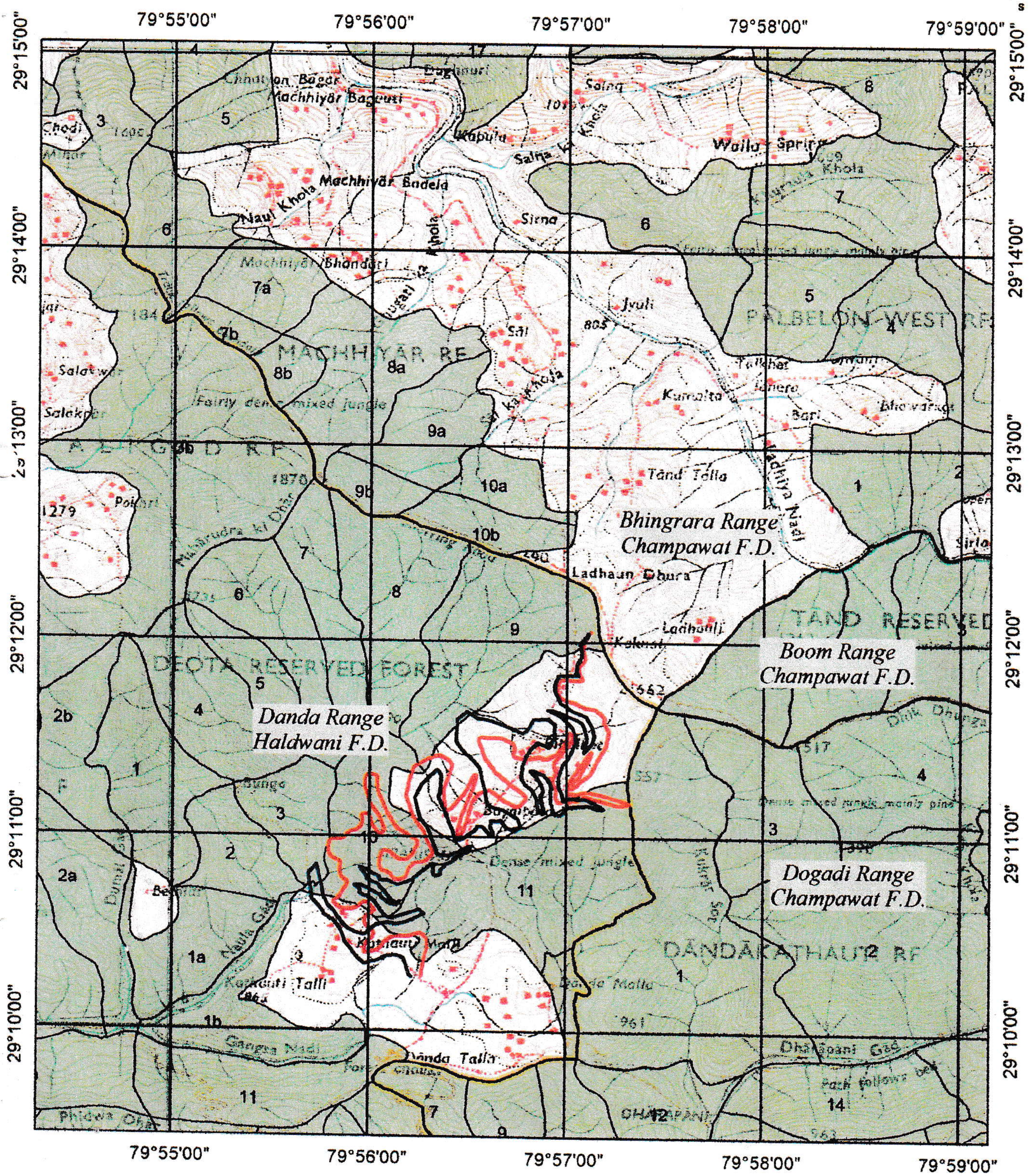

Legend

Alternate_Alignment	
Proposed_Road	
Reserve Forest Area	
Reserve Forest Boundary	
Range_Boundary	
Division_Boundary	

0.0 0.4 0.8 1.2 1.6 2.0
Km

प्रभागीय वनाधिकारी
हल्द्वानी वन प्रभाग, हल्द्वानी।

सहायक अभियन्ता
सिंचाई खण्ड, लो०नि०वि० पीआईयू, पीएमजीएसवाई
चम्पावत

अधिशासी अभियन्ता
चम्पावत

वन क्षेत्राधिकारी

Prepared by:- (Pankaj Joshi)

(9+5)

जियो रैफरेन्स मैप–जनपद चम्पावत में पी0एम0जी0एस0वाई0 के अन्तर्गत टकनागूँठ से डांडामल्ला मोटर मार्ग का निर्माण।

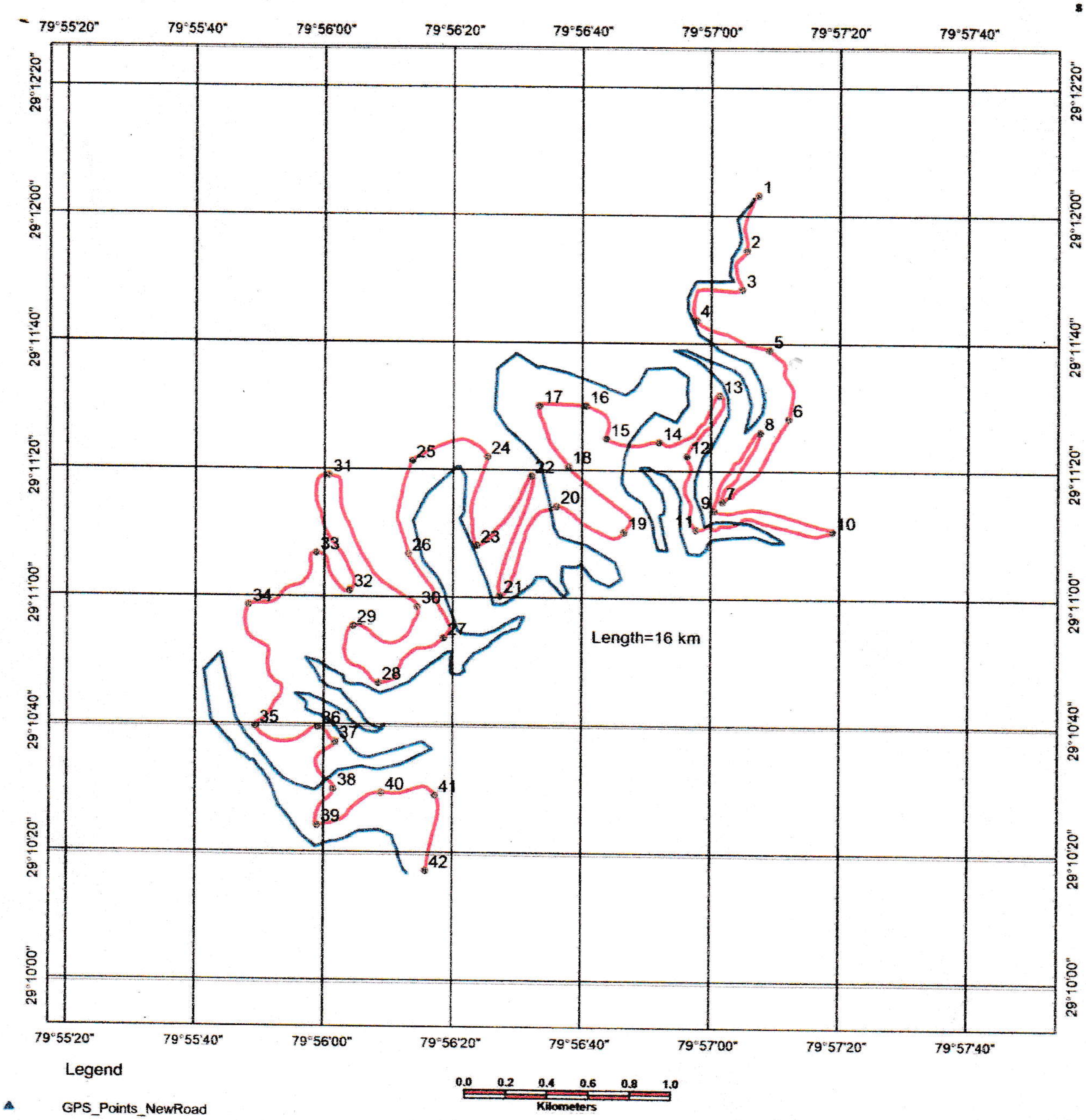

ID	Longitude	Latitude	ID	Longitude	Latitude	ID	Longitude	Latitude	ID	Longitude	Latitude
1	79°57'7.35"E	29°12'3.15"N	12	79°56'56.28"E	29°11'22.33"N	23	79°56'23.69"E	29°11'8.10"N	34	79°55'48.25"E	29°10'58.61"N
2	79°57'5.49"E	29°11'54.50"N	13	79°57'1.33"E	29°11'31.86"N	24	79°56'25.28"E	29°11'22.03"N	35	79°55'49.40"E	29°10'39.65"N
3	79°57'4.80"E	29°11'48.39"N	14	79°56'51.98"E	29°11'24.49"N	25	79°56'13.65"E	29°11'21.33"N	36	79°55'59.11"E	29°10'39.55"N
4	79°56'57.73"E	29°11'43.63"N	15	79°56'43.74"E	29°11'24.96"N	26	79°56'13.05"E	29°11'6.72"N	37	79°56'1.78"E	29°10'37.23"N
5	79°57'9.08"E	29°11'39.00"N	16	79°56'40.60"E	29°11'30.10"N	27	79°56'18.55"E	29°10'53.64"N	38	79°56'1.52"E	29°10'29.86"N
6	79°57'12.12"E	29°11'28.24"N	17	79°56'33.40"E	29°11'30.10"N	28	79°56'8.42"E	29°10'46.56"N	39	79°55'58.99"E	29°10'24.19"N
7	79°57'1.74"E	29°11'15.16"N	18	79°56'37.86"E	29°11'20.58"N	29	79°56'4.53"E	29°10'55.46"N	40	79°56'8.92"E	29°10'29.31"N
8	79°57'7.70"E	29°11'26.10"N	19	79°56'46.51"E	29°11'10.35"N	30	79°56'14.50"E	29°10'58.47"N	41	79°56'17.32"E	29°10'28.98"N
9	79°57'0.47"E	29°11'13.71"N	20	79°56'36.06"E	29°11'14.32"N	31	79°56'0.70"E	29°11'18.95"N	42	79°56'15.87"E	29°10'17.22"N
10	79°57'18.91"E	29°11'10.59"N	21	79°56'27.28"E	29°11'0.28"N	32	79°56'3.94"E	29°11'0.96"N			
11	79°56'57.66"E	29°11'10.76"N	22	79°56'32.18"E	29°11'19.04"N	33	79°55'58.78"E	29°11'6.77"N			

Prepared by:- (Pankaj Joshi)
GIS Analyst
CPD, UFTA, Haldwani

वन क्षेत्राधिकारी
डांडा राजि
हल्द्वानी वन प्रभाग

सहायक अभियन्ता

अधिशासी अभियन्ता

प्रभागीय वनाधिकारी

प्रारुप–21 (56)

परियोजना का नामः– जनपद चम्पावत में पी0एम0जी0एस0वाई फेज–8 के अन्तर्गत टकनागूँठ से डाडा मल्ला मोटर मार्ग का निर्माण लम्बाई 16.000 कि0मी0

परियोजना क्षेत्र में विद्यमान वृक्षों में से वास्तविक रूप से काटे जाने वाले वृक्षों का विवरण।

क्र.सं	भूमि की श्रेणी	विद्यमान वृक्षों की संख्या	वास्तविक रूप से काटे जाने वाले वृक्षों की संख्या	विवरण
1.	आरक्षित वन भूमि	803	803	——
2.	सिविल सोयम	24	24	——
3.	वन पंचायत	——	——	——
4.	संरक्षित वन	——	——	——
	योग :– वन भूमि	827	827	——
5.	नाप भूमि	15	15	——
	कुल योग :–	842	842	——

प्रमाणित किया जाता है कि परियोजना के निर्माण से प्रभावित होने वाले कुल 842 वृक्षों में से वास्तविक रूप से केवल 842 वृक्षों का पातन किया जाना अपरिहार्य है।

ह0/–
प्रयोक्ता एजेन्सी
अधिशासी अभियन्ता
पी0 एम0 जी0 एस0 वाई0
सिंचाई खण्ड, लोहाघाट(चम्पावत)

ह0/–
प्रभागीय वनाधिकारी
हल्द्वानी वन प्रभाग, हल्द्वानी.

उप प्रभागीय वनाधिकारी
शारदा उप प्रभाग हल्द्वानी.

वन क्षेत्राधिकारी
डाडा वन क्षेत्र
हल्द्वानी वन प्रभाग, हल्द्वानी

(60)

2.17

प्रपत्र— 17

परियोजना का नाम :— जनपद चम्पावत में प्रधानमन्त्री ग्राम सड़क योजना फेज — 8 के अन्तर्गत टकनागूँठ से डांडामल्ला (0.000 से 16.000 कि0मी0) मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

प्रस्तावित परियोजना में वृक्ष प्रभावित न होने की दशा में प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रदत्त

प्रमाण—पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित परियोजना के निर्माण से आवेदित भूमि पर 842 वृक्ष प्रभावित हो रहे हैं। जिसमें केवल 408 वृक्षों का पतन किया जायेगा, 434 पौधे अन्यत्र रोपित किये जायेंगे।

कनिष्ठ अभियन्ता पी0एम0जी0एस0वाई0 सिंचाई खण्ड, लोहाघाट	सहायक अभियन्ता पी0एम0जी0एस0वाई0 सिंचाई खण्ड, लोहाघाट	अधिशासी अभियन्ता पी0एम0जी0एस0वाई0 सिंचाई खण्ड, लोहाघाट
वन क्षेत्राधिकारी डांडा वन क्षेत्र हल्द्वानी वन प्रभाग, हल्द्वानी	उप प्रभागीय वनाधिकारी शारदा उप प्रभाग हल्द्वानी	ह0/ प्रभागीय वनाधिकारी प्रभागीय वनाधिकारी हल्द्वानी वन प्रभाग, हल्द्वानी

भूगर्भीय निरीक्षण आख्या

आर0सी0यू0 60/सड़क/कुमायूँ/2010

जनपद चम्पावत में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना
के फेज IX के अन्तर्गत टाँण–ककनई–डाँडाकठोती मोटर मार्ग,
प्रस्तावित लम्बाई 21 कि0मी0
सड़क संरेखन की भूगर्भीय निरीक्षण आख्या।

दिसम्बर, 2010

जनपद चम्पावत में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के फेज IX के अन्तर्गत टॉंण–ककनई–डॉंडाकठोती मोटर मार्ग, प्रस्तावित लम्बाई 21 कि0मी0 सड़क संरेखन की भूगर्भीय निरीक्षण आख्या।

1.प्रस्तावनाः–

सिंचाई खण्ड, लोक निर्माण विभाग, चम्पावत के अधीन टॉंण–ककनई–डॉंडाकटोती मोटर मार्ग का 21 कि0मी0 की लम्बाई में निर्माण करना प्रस्तावित है। अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, चम्पावत के द्वारा किये गये अनुरोध पर स्थल निरीक्षण दिनांक 30–12–2010 एवं 31–12–2010 को श्री दीप जोशी, सहायक अभियन्ता एवं श्री गणेश जोशी, कनिष्ठ अभियन्ता, श्री महेश सकलानी, सर्वेयर की उपस्थिति में अधोहस्ताक्षरी द्वारा किया गया। स्थल का निरीक्षण–स्थल की संरचना, बनावट, भूकम्पीय, भूगर्भीय एवं पर्यावरण परिस्थितिकी के अध्ययन हेतु किया गया ताकि 21 कि0मी0 की लम्बाई में मोटर मार्ग के निर्माण हेतु आवश्यक सुझाव दिये जा सके।

2. स्थितिः–

प्रस्तावित सड़क संरेखन रीठा–कुल्यालगाँव–टॉंण मोटर मार्ग के 15वें कि0मी0 के अन्तिम बिन्दु से प्रारम्भ होता है एवं डॉंडा कठौती मल्ला पर समाप्त हो जाता है। स्थिति के लिये मानचित्र एवं फोटोग्राफ संलग्न हैं।

3. भूगर्भीय स्थितिः–

प्रस्तावित सड़क संरेखन सैन्ट्रल हिमालयन सेक्टर में मध्य हिमालय के कुमायूँ क्षेत्र के अन्तर्गत है। स्थल पर जौनसार समूह की नागथाट फारमेशन की चट्टानें विद्यमान हैं। स्थल पर मैरून एवं परपिल रंग की लौह अयस्क वाली स्लेट, सिल्टस्टोन, गुलाबी एवं परपिल रंग की क्वार्ट्एरिनाइट तथा वेसिक वालकेनिक चट्टानें इण्टरवेडेड हैं। इन चट्टानों के साथ ही मेसिव गुलाबी एवं परपिल रंग की कोर्स एवं फाइनग्रेन्ड की क्वार्ट्जाइट भी फेरूजिनस फिलाइट एवं सिनी फिलाइट के रूप में विद्यमान है। इन चट्टानों पर किया गया भूगर्भीय अध्ययन इस प्रकार है।

(1)	35–215 उत्तर पूर्व–दक्षिण पश्चिम	38° दक्षिण पूर्व	नति
(2)	140–320 दक्षिण पूर्व–उत्तर पश्चिम	36° उत्तर पूर्व	नति
(3)	70–250 उत्तर पूर्व–दक्षिण पश्चिम	48° पश्चिम उत्तर	नति
(4)	90–270 पूर्व–पश्चिम	54° दक्षिण	नति
(5)	150–330 दक्षिण पूर्व–उत्तर पश्चिम	64° दक्षिण पश्चिम	नति
(6)	80–260 पूर्व उत्तर पूर्व–पश्चिम दक्षिण पश्चिम	32° उत्तर पश्चिम उत्तर	नति
(7)	160–340 दक्षिण पूर्व–उत्तर पश्चिम	58° उत्तर पूर्व	नति
(8)	100–280 पूर्व दक्षिण पूर्व–पश्चिम उत्तर पश्चिम	38° उत्तर पूर्व उत्तर	नति
(9)	20–200 उत्तर पूर्व–दक्षिण पश्चिम	16° उत्तर पश्चिम	नति

(10)	20–200 उत्तर पूर्व–दक्षिण पश्चिम	33° उत्तर पश्चिम	नति
(11)	100–280 पूर्व दक्षिण पूर्व–पश्चिम उत्तर पश्चिम	76° उत्तर पूर्व उत्तर	नति
(12)	80–260 पूर्व उत्तर पूर्व–पश्चिम दक्षिण पश्चिम	74° उत्तर पश्चिम उत्तर	नति
(13)	130–310 दक्षिण पूर्व–उत्तर पश्चिम	88° उत्तर पूर्व	नति
(14)	160–340 दक्षिण पूर्व–उत्तर पश्चिम	26° उत्तर पूर्व	नति
(15)	80–260 पूर्व उत्तर पूर्व–पश्चिम दक्षिण पश्चिम	42° उत्तर पश्चिम उत्तर	नति
(16)	50–230 उत्तर पूर्व–दक्षिण पश्चिम	34° उत्तर पश्चिम	ज्वाइन्ट प्लेन
(17)	130–310 दक्षिण पूर्व–उत्तर पश्चिम	78° उत्तर पूर्व	ज्वाइन्ट प्लेन
(18)	90–270 पूर्व–पश्चिम	68° उत्तर	ज्वाइन्ट प्लेन
(19)	10–190 उत्तर पूर्व उत्तर–दक्षिण पश्चिम दक्षिण	52° पूर्व दक्षिण पूर्व	ज्वाइन्ट प्लेन
(20)	80–260 पूर्व उत्तर पूर्व–पश्चिम दक्षिण पश्चिम	56° उत्तर पश्चिम उत्तर	ज्वाइन्ट प्लेन
(21)	10–190 उत्तर पूर्व उत्तर–दक्षिण पश्चिम दक्षिण	46° पूर्व दक्षिण पूर्व	ज्वाइन्ट प्लेन
(22)	100–280 पूर्व दक्षिण पूर्व–पश्चिम दक्षिण पश्चिम	90° वर्टिकल	ज्वाइन्ट प्लेन
(23)	80–260 पूर्व उत्तर पूर्व–पश्चिम दक्षिण पश्चिम	74° उत्तर पश्चिम उत्तर	ज्वाइन्ट प्लेन
(24)	120–300 दक्षिण पूर्व–उत्तर पश्चिम	58° दक्षिण पश्चिम	ज्वाइन्ट प्लेन
(25)	20–200 उत्तर पूर्व– दक्षिण पश्चिम	90° वर्टिकल	ज्वाइन्ट प्लेन
(26)	180–360 उत्तर–दक्षिण	23° पश्चिम	ज्वाइन्ट प्लेन
(27)	90–270 पूर्व–पश्चिम	57° दक्षिण	ज्वाइन्ट प्लेन
(28)	110–290 दक्षिण पूर्व–उत्तर पश्चिम	58° दक्षिण पश्चिम	ज्वाइन्ट प्लेन
(29)	180–360 उत्तर–दक्षिण	64° पश्चिम	ज्वाइन्ट प्लेन

उपरोक्त अध्ययन से ज्ञात होता है कि सड़क संरेखन के भू-भाग में स्थित चट्टानें 16° से 88° के मध्य उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम एवं उत्तर पश्चिम दिशा की ओर झुकी हैं। इन चट्टानों पर 6 सेट से अधिक ज्वाइन्ट प्लेन विकसित हुए हैं।

4. स्थल वर्णनः–

प्रस्तावित सड़क संरेखन रीठा–कुल्यालगाँव–टाँण मोटर मार्ग के 15वें कि0मी0 के अन्तिम बिन्दु से प्रारम्भ होता है जो डाँडा कठौती–मल्ला में खेतों के पास समाप्त हो जाता है। यह संरेखन 33 सूखे तथा 1 पेरिनियल नालों से होकर गुजरता है। जगमोरिया गाड़ में वर्षा के दिनों में पानी अधिक रहता है। पहाड़ी ढलान सामान्य, मध्यम एवं उच्च श्रेणी के पहाड़ी ढलान श्रेणी के अन्तर्गत है जो उत्तर–पूर्वी तथा दक्षिण पश्चिमी हैं।यह संरेखन टाँण–घंघरानी–लधौनखान, ककनई, भूगरू, त्यून्दरा, सेल्तोली, वेजलपट्टा, कठौती, डाँडा कठौती–मल्ला को आपस में जोड़ता है। संरेखन के भू–भाग में स्थित चट्टानें क्वार्ट्जाइट एवं वेसिक इन्द्रजिव की कठोर श्रेणी के अन्तर्गत, जबकि फिलाइट नरम श्रेणी के चट्टानों की श्रेणी में हैं। यह संरेखन टाँण में श्री घनानन्द के घर के ऊपर की ओर पहाड़ी से लधौलकान में श्री लक्ष्मण सिंह के मकान के पीछे की ओर से शिव मन्दिर के पास तदुपरान्त श्री होशियार सिंह के मकान के पीछे की ओर स्थित पैदल मार्ग के ऊपर से गुजरता है जो पहाड़ी के रिज पर स्थित है। ककनई में यह संरेखन श्री गोपाल सिंह, श्री वी0एस0मेहर, श्री पुष्कर सिंह के मकानों के पास से गुजरते हुए भूमिया मन्दिर के पास से श्री बचीसिंह के मकान के पास से होते हुए जूनियर हाईस्कूल कठौती के पीछे की ओर पहाड़ी ढलान से होते हुए श्री श्याम सिंह महर के घर के ऊपर की ओर पहाड़ी से होते हुए जगमोरिया गाड़ उसके उपरान्त श्री रमेश राम एवं श्री श्याम लाल के मकानों के पास से होते हुए डाँडा कठौती में खेतों पर समाप्त हो जाता है। सड़क संरेखन का ग्रेडिएन्ट 1:20 के फाल, 1:24 के राइज, 1:30 के राइज, लेवल, 1:20 के फाल, 1:24 के फाल, 1:30 के फाल, 1:40 के फाल, 1:60 के फाल में प्रस्तावित हैं। सड़क संरेखन में

12 हेयर पिन बैण्ड्स प्रस्तावित है। सड़क संरेखन का अधिकांश भाग वन भूमि में प्रस्तावित है। प्रस्तावित स्थल की भूगर्भीय स्टेट्रीग्राफी इस प्रकार है।

मिट्टी की परत
डेब्रिस
सिनी फिलाइट
परपिल क्वार्ट्जाइट
इन्ट्रजिव वालकेनिक्स
क्वार्ट्जाइट (ग्रे एवं हरे रंग में)
बेसिक इन्ट्रजिव
क्वार्ट्जाइट (सफेद एवं गुलाबी रंग के)
फिलाइट (काले रंग में)
क्वार्ट्जाइट (फाइनग्रेन्ड)
सायल पाकेट्स
फिलाइट

5. स्थाईत्व का विचारः—

प्रस्तावित सड़क संरेखन के भू—भाग की संरचना, बनावट, भूकम्पीय, भूगर्भीय एवं पर्यावरण परिस्थितिकी के अध्ययन के उपरान्त मोटर मार्ग के स्थाईत्व हेतु निम्न बिन्दुओं पर विचार करना अति आवश्यक है।

1, यह सड़क संरेखन, मध्य हिमालय के पर्वतीय क्षेत्र के अन्तर्गत प्रस्तावित है।
2,यह संरेखन 33 सूखे तथा 1 पेरिनल नालों से होकर गुजरता है।
3,जगमोरिया सूखे नाले में वर्षा के दिनों पानी का बहाव अधिक है।
4,सड़क संरेखन में 12 हेयर पिन बैण्ड्स भी प्रस्तावित हैं।
5,भूकम्पीय दृष्टि से प्रस्तावित भू—भाग जोन IV के अन्तर्गत है।
6,संरेखन के भाग में स्थित क्वार्ट्जाइट तथा वेसिक इन्ट्रजिव की चट्टानें कठोर श्रेणी के अन्तर्गत हैं।
7,संरेखन का अधिकांश भाग वन भूमि से होकर गुजरता है।
8,पहाड़ी ढलान सामान्य तथा मध्यम श्रेणी के पहाड़ी ढलान पर है।
9. यह संरेखन गाँव में स्थित मकानों के आस—पास तथा मध्य से भी होकर गुजरता है।
10. यह संरेखन कृषि भूमि से भी होकर गुजरता है।

6. सुझावः—

प्रस्तावित सड़क संरेखन के भू—भाग की संरचना, बनावट, भूकम्पीय, भूगर्भीय एवं पर्यावरण परिस्थितिकी के अध्ययन के उपरान्त मोटर मार्ग के निर्माण हेतु निम्नलिखित सुझाव दिये जाते हैं।

1. पेरिनियल एवं सूखे नालों पर स्कपर्स/डबल स्कपर्स, काजवे एवं कल्वर्ट का निर्माण किया जाए।
2. जगमोरिया गाड पर 24 मी0 विस्तार के स्टील गर्डर पुल का निर्माण किया जाय।
3. पहाड़ी की ओर नालियों का निर्माण किया जाए।
4. कृषि भूमि पर ब्रेस्टवाल का निर्माण किया जाए।
5. भूकम्पीय मानकों के अनुरूप कार्य किये जाएं।
6. हेयर पिन बैण्ड्स को मानकों के अनुरूप बनाया जाए।
7. पर्वतीय क्षेत्र में बनने वाले मोटर मार्गों के लिए निर्धारित सिविल अभियांन्त्रिकी के विशिष्ट मानकों के अनुरूप उपाय किये जाएं।
8. गाँव में स्थित मकानों की सुरक्षा के उपाय किये जायें।
9. उच्च ढलान क्षेत्रों पर मोटर मार्ग के निर्माण के समय मिलने वाले अवसाद को न गिराया जाए।
10. कृषि भूमि में निर्माण के समय टाप सायल को कृषि के लिए ही उपयोग में लाया जाए।

7. निष्कर्षः—

उपरोक्त वर्णित बिन्दुओं को ध्यान में रखते हुए टॉण—ककनई—डॉंडाकटोती मोटर मार्ग का 21 कि0मी0 की लम्बाई में निर्माण करना उपयुक्त प्रतीत होता है।

टिप्पणीः स्थल निरीक्षण के समय उपस्थित अधिकारियों के समक्ष विस्तृत विचार विमर्श किया गया।

(डा0 आर0 सी0 उपाध्याय)

भू—वैज्ञानिक

आर0 क्यू0 पी0/डी0 डी0 एन0 147/2002—ए0

(डॉ० आर.सी. उपाध्याय)
भू-वैज्ञानिक
हिमाद्री-भ्यू, रानीधारा टाप
अल्मोड़ा 263601 (उत्तराखण्ड)

प्रारुप—50

परियोजना का नामः— **जनपद चम्पावत में पी0एम0जी0एस0वाई फेज—8 के अन्तर्गत टकनागूँठ से डाडा मल्ला मोटर मार्ग का निर्माण लम्बाई 16.000 कि0मी0**

प्रमाणित किया जाता है कि भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली के आदेश संख्या 5—3/2007—एफ0सी0 दिनांक 05—02—2009 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुसार आवेदित वन भूमि हेतु एन0पी0वी0 की देयता निम्नानुसार है :—

1. ईको—क्लास श्रेणी— V
2. हरियाली का घनत्व— 0.40
3. एन0पी0वी0 की दर प्रति हे0— 939000.00
4. आवेदित वन भूमि का क्षेत्रफल— 9.14 हे0
5. कुल देय एन0पी0वी0 की धनराशि— 8582660.00

ह0/—
प्रभागीय वनाधिकारी
प्रभागीय वनाधिकारी
हल्द्वानी वन प्रभाग, हल्द्वानी.

सहायक अभियन्ता
पी0एम0जी0एस0वाई0
[illegible] लोहाघाट

अधिशासी अभियन्ता
पी0 एम0 जी0 एस0 वाई0
सिंचाई खण्ड, लोहाघाट(चम्पावत)

वन क्षेत्राधिकारी
डांडा वन क्षेत्र
हल्द्वानी वन प्रभाग, हल्द्वानी

उप प्रभागीय वनाधिकारी
शारदा उप प्रभाग, हल्द्वानी.

84

F. No. 5-3/2007-FC
Government of India
Ministry of Environment and Forests
(FC Division)

Paryavaran Bhawan,
CGO Complex, Lodhi Road,
New Delhi – 110 510.
Dated : 05.02.2009.

To

The Principal Secretary / Secretary (Forests),
All State / UT Governments.

Sub: Guidelines for diversion of forest land for non-forestry purposes under Forest (Conservation) Act, 1980 – Guidelines for collection of Net Present Value (NPV).

Sir,

The Ministry of Environment and Forests, Government of India has been receiving representations from different States seeking detailed clarification and guidelines on the above mentioned subject in the light of the Supreme Court Judgment dated 28.03.2008 revising the general rates of NPV and various other orders defining differential rates for various categories of projects.

After careful examination of the issue, I am directed to inform that the Hon'ble Supreme Court of India vide its judgement dated 28.03.2008, has re-fixed the rates of Net Present Value (NPV) on the basis of scientific data taking in view the ecological role and value of the forests. The 16 major forest types have been re-grouped into 6 ecological classes depending upon their ecological functions.

- Eco-Class I — Consisting of Tropical Wet Evergreen Forests, Tropical Semi Evergreen Forests and Tropical Moist Deciduous Forests
- Eco-Class II — Consisting of Littoral and Swamp Forests
- Eco-Class III — Consisting of Tropical Dry Deciduous Forests
- Eco-Class IV — Consisting of Tropical Thorn Forests and Tropical Dry Evergreen Forests
- Eco-Class V — Consisting of Sub-tropical Broad Leaved Hill Forests, Sub-Tropical Pine Forests and Sub Tropical Dry Evergreen Forests
- Eco-Class VI — Consisting of Montane Wet Temperate Forests, Himalayan Moist Temperate Forests, Himalayan Dry Temperate Forests, Sub Alpine Forest, Moist Alpine Scrub and Dry Alpine Scrub

Based on the ecological importance of forest falling in different eco-value and canopy density classes, relative weight age factors have also been taken into consideration. By using relative weigh age factors, the equalized forest area in eco-value Class-I and very dense forest corresponding to forest falling in different eco-value and density classes have been calculated. The net present value per hectare of forest has been fixed based on this data. For estimating the average net percent value per hectare of forest in India, the following monetary value of goods and services provided by the forest have been considered:-

...Products (NTFP)
...fodder
(iv) Value of Eco-tourism
(v) Value of bio-prospecting
(vi) Value of Ecological services of forest
(vii) Value of Flagship Species
(viii) Carbon Sequestration Value

Based on the above, the NPV was fixed and the following recommendations have been made by the Hon'ble Supreme Court of India:-

(i) For non-forestry use / diversion of forest land, the NPV may be directed to be deposited in the Compensatory Afforestation Fund as per the rates given below:-

Eco-Value	Class and NPV rates in Rs. Per Hect.					
	Class I	Class II	Class III	Class IV	Class V	Class VI
Very Dense Forest	10,43,000	10,43,000	8,87,000	6,26,000	9,39,000	9,91,000
Dense Forest	9,39,000	9,39,000	8,03,000	5,63,000	8,45,000	8,97,000
Open Forest	7,30,000	7,30,000	6,26,000	4,38,000	6,57,000	6,99,000

N.B. *The NPV rate fixed would hold good for a period of three years and is subject to variation after three years as per the Supreme Court's judgement dated 28.03.2008.*

(ii) The use of forest land falling in National Parks / Wildlife Sanctuaries will be permissible only in totally unavoidable circumstances for public interest projects and after obtaining permission from the Hon'ble Court. Such permissions may be considered on payment of an amount equal to ten times in the case of National Parks and five times in the case of Sanctuaries respectively of the NPV payable for such areas. The use of non-forest land falling within the National Parks and Wildlife Sanctuaries may be permitted on payment of an amount equal to the NPV payable for the adjoining forest area. In respect of non-forest land falling within marine National Parks / Wildlife Sanctuaries, the amount may be fixed at five times the NPV payable for the adjoining forest area;

The Hon'ble Supreme Court of India vide its order dated 24.04.2008 and 09.05.2008, has also exempted certain category of projects as per the details given below:

Sl. no.	List of Activities/Projects	Exemption Levels for NPV (as percentage of full chargeable NPV)	Remarks
1	(i) Schools (ii) Hospitals (iii) Children's play ground of non-commercial nature (iv) Community centers in rural areas	Full exemption up to 1.00 ha of forest land provided: (a) no felling of trees is involved; (b) alternate forest land is not available; (c) the project is of non-commercial	As per Hon'ble Supreme Court Order dated 09.05.2008 regarding correction of the judgment dated 28.03.2008.

सहायक अभियन्ता
सिंचाई खण्ड, लो.नि.वि.
चम्पावत।

FAX NO. : 21 Sep. 2013 12:03 P 3

	Underground mining	50% of the NPV of the entire area.	-do-
7.	Field Firing Range	Full Exemption provided: (a) no felling of trees are involved; and (b) no likelihood of destruction of forest is involved.	As per Hon'ble Supreme Court Order dated 24.04.2008.
8.	Wind Energy Projects	50% of the minimum rate of the NPV irrespective of the eco-class in which the project lies provided minimum tree felling is involved.	-do- and CEC clarification dated 22.12.2008

In case of any other category seeking exemption from payment of NPV, the State Government / User agency may approach Hon'ble Supreme Court of India as per its order dated 24.04.2008 & 09.05.2008.

This issues with the approval of competent authority.

(C.D. Singh)
Sr. Assistant Inspector General of Forests

Copy to:

1. The Principal Chief Conservator of Forests, All States / UTs.
2. The Nodal Officer (FCA), O/o the PCCFs, All States / UTs.
3. All Regional Offices of MoEF located at Bhopal, Shillong, Bangalore, Bhubaneshwar, Lucknow and Chandigarh.
4. The RO (HQ), MoEF, New Delhi.
5. Monitoring Cell, FC Division, MoEF, New Delhi.
6. Guard File.

(C.D. Singh)
Sr. Assistant Inspector General of Forests

True Copy

03-10-13

सहायक अभियन्ता
... लो०नि०वि०
चम्पावत।

(63)

मक डिस्पोजल प्लान

परियोजना का नाम :— जनपद चम्पावत में प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना के अन्तर्गत टकनागूँठ से डाडामल्ला मोटर मार्ग में मक डिस्पोजल।

Sl. No	Km & Change	Length in mtr.	Land Type	Cross Section Start & Last	Total Qty of Muck
1	2	3	4	5	6
1	0.000 to 3.400	3400	R/F.Civil.NapLand	6.00x6x1/2 = 18.00 6.00x5.95x1/2 = 17.87 3400(18.00+17.87)/2=	62772.50 cum
2	3.400 to 6.600	3200	Nap & Civil Land	3.00x5.95x1/2 =8.92 4x6x1/2 = 12.00 3200(8.92+12.00/2=	32472.00 cum
3	6.600 to 9.900	3300	R/F Civi; &Nap Land	6.00x6x1/2 = 18.00 6.00x5.95x1/2 = 17.87 3300(18.00+17.87)/2=	59185.50 cum
4	9.900 to 10.500	600	Nap&Civil Land	3.00x5.95x1/2 =8.92 4x6x1/2 = 12.00 600(8.92+12.00/2=	6276.00 cum
5	10.500 to 14.000	3500	R/F&Civil Land	6.00x6x1/2 = 18.00 6.00x5.95x1/2 = 17.87 3500(18.00+17.87)/2=	62772.50 cum
6	14.000 to 16.000	2000	Nap Land	4x5.95x1/2 = 11.90 3x5.95x1/2 = 8.92 2000(11.90+8.92)/2=	20820.00 cum
	Total				**244298.50 cum** OR 244299.00
			Rocks (60%)		146579.00 cum
			Muck (45%)		97720.00 cum

सहायक अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०
सिंचाई खण्ड, लोहाघाट

अधिशासी अभियन्ता
पी० एम० जी० एस० वाई०
सिंचाई खण्ड, लोहाघाट (चम्पावत)

वन क्षेत्राधिकारी
डांडा वन क्षेत्र
हल्द्वानी वन प्रभाग, हल्द्वानी

उप प्रभागीय वनाधिकारी
शारदा उप प्रभाग हल्द्वानी

प्रभागीय वनाधिकारी
हल्द्वानी वन प्रभाग, हल्द्वानी.

Muck Disposal of TaknaGunth To Danda Malla Motor Road

Sl. No.	Km. & Ch.	Total Muck as per Sheet		Size of dumping Yard	Capacity of dunping	Owner of Land	Cordinate	
							Longitude	Latitude
1	2	3	4	6	7	8	9	10
1	0.000 to 3.400	Total Muck	62772.50	50x50x6	15000.00	Civil Land	79^{0}'57.10.78 E	29^{0}11.37.16 N
		60% Used Muck	37663.50	50x40x6	12000.00		79^{0}'57.4.99 E	29^{0}11.17.83 N
		50% Un used Muck	25109.00					
2	3.400 to 6.600	Total Muck	32472.00	50x40x6	12000.00	Civil Land	79^{0} 56.56.65 E	29^{0} 11.19.76 N
		50% Used Muck	16236.00	30x20x5	3000.00		79^{0} 56.49.32 E	29^{0} 11.23.90 N
		50% Un used	16236.00	20x20x5	2000.00		79^{0} 56.49.32 E	29^{0} 11.23.90 N
3	6.600 to 9.900	Total Muck	59185.50	50x40x6	12000.00	Civil Land	79^{0} 56.29.80 E	29^{0} 11.10.56 N
		60% Used Muck	35511.00	50x40x5	10000.00	R/F	79^{0} 56.3.90 E	29^{0} 10.19.5 N
		40% Un used Muck	23674.20	50x40x4	8000.00		79^{0} 56.3.90 E	29^{0} 10.19.5 N
4	9.900 to 14.000	Total Muck	69048.50	60x15x5	4500.00	R/F	79^{0} 55.51.04 E	29^{0} 10.57.74
		50% Used Muck	34534.25	50x40x6	12000.00		79^{0} 55.51.04 E	29^{0} 10.57.74
		50% Un used	34524.25	40x40x6	9600.00		79^{0} 55.51.04 E	29^{0} 10.57.74
5	14.000 to 16.000	Total Muck	20820.00	50x40x6	12000.00	Civil Land	79^{0} 55.59.05 E	29^{0}10.23.83" N
		60% Used Muck	12492.00					
		40% Un used Muck	8328.00	Total= 2.00Ha.				

Total Land Of Muck Disposal R/F 1.00 hec And Civil Land 1.000 hec

सहायक अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०
सिंचाई खण्ड, लोहाघाट

वन क्षेत्राधिकारी
दांडा वन क्षेत्र